

सं.मानू/प्रशासन/मि.120/2025-26/06

दिनांक: 25 अप्रैल, 2025

कार्यालय आदेश

विषय : मानू - प्रशासन - तत्काल प्रभाव दिनांक 01.01.2025 से संशोधित दरों पर महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में - आदेश जारी ।

संदर्भ : 1. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक: 02 अप्रैल 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं.1/1/2025- ई.II (बी)

2. यूजीसी परिपत्र सं.एफ-67-3/2021(सीयू) वाल्यूम.II/126272 दिनांक 24 अप्रैल 2025

3. दिनांक 25.04.2025 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

उपरोक्त संदर्भ में उद्धृत कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सभी पात्र कर्मचारियों को, महँगाई भत्ता 53% की मौजूदा दर से 55% तक की बढ़ी हुई दर पर तत्काल प्रभाव दिनांक. 01 जनवरी, 2025 से भुगतान करने हेतु अनुमोदित किया गया है।

#आदेशानुसार#

कुलसचिव
Ravi

वित्त अधिकारी(संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष(डीन)

सभी केन्द्रों व निदेशालय के निदेशक

सभी विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक)

सभी अनुभाग अध्यक्ष/ प्रभारी (गैर-शैक्षणिक)

सभी क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-केन्द्र, सीटीई/पॉलीटेक्नीक/आईटीआई/

मॉडल स्कूल, सैटलाइट कैम्पस, आदि के विभागाध्यक्ष/प्रभारी।

प्रति :

1. कुलपति/कुलसचिव/ओएसडी-I/ओएसडी-II कार्यालय

2. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

3. संबंधित फाइल